खबर कोना

कोलकाता में तृणमूल के खिलाफ प्रदर्शन करते भाजपा के सदस्य।

यूको बैंक ने विश्व हिंदी दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया

कोलकाता, 9 जनवरी (जनसत्ता)।

यूको बैंक ने हिंदी के वैश्विक महत्त्व को रेखांकित करते हुए आनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए अरुपानंद जेना, महाप्रबंधक, निरीक्षण विभाग ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। संगोष्ठी में अतिथि वक्ता सुभाषिणी रथनायका (श्रीलंका) ने डिजिटल युग में राजभाषा अनुपालन तथा विश्व में हिंदी की भूमिका पर अपना व्याख्यान दिया। संगोष्ठी के दूसरे सत्र में विशेष वक्ता पंजाब विश्वविद्यालय के प्रध्यापक गुरमीत सिंह ने विभिन्न राष्ट्रों में भाषा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए विदेश भ्रमण अनुभव साझा किया तथा बताया कि कैसे यूरोप, अमेरिका एवं एशियाई देशों में यात्रा के दौरान अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश, पुर्तगाली जैसी विभिन्न भाषाओं का सामना हुआ, लेकिन हिंदी की सरलता एवं वैश्विक पहुंच ने संवाद को आसान बनाया।

मतुआ गढ़ में 80 फीसद लोगों के नाम कटे

कोलकाता, 9 जनवरी (जनसत्ता)।

बंगाल में गहन पुनरीक्षण सुनवाई का काम चल रहा है। चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद मतदाता पहचान पत्र में नाम दर्ज करवाने के लिए लोग कतारों में लगे हैं। बनगांव महकुमा के चार विधानसभा केंद्र ही नहीं, हाबरा विधानसभा इलाके में रहने वालों में भी ज्यादातर मतुआ समुदाय के निवासी हैं। इनमें से कई लोगों ने मतुआ महासंघ की ओर से जारी हिंदू प्रमाणपत्र को दस्तावेज, जबकि कई लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के आवेदन लेकर सुनवाई केंद्र में पहुंच रहे हैं। लेकिन केंद्र के कर्मचारियों व अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि आयोग की ओर से जारी 11 दस्तावेजों की सूची के अलावा वे और कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं कर सकते। कई जगह दस्तावेज जमा होने पर ही बता दिया जा रहा है कि यह मान्य नहीं हैं। जिससे मतुआ गढ़ के लोगों का मतदाता सूची में बाहर रहना पक्का माना जा रहा है। उत्तर 24 परगना जिला प्रशासन से मिली जानकारी से पता चला है कि बनगांव, हाबरा समेत जिले में कई जगह मतुआ समुदाय के लोगों ने गैर जरूरी उक्त दस्तावेज दाखिल किए हैं। माना जा रहा है कि आवेदन करने वालों के 20 फीसद दस्तावेज ठीक हो सकते हैं।

जेपी नड्डा ने एम्स-कल्याणी में स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया

कोलकाता, 9 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-कल्याणी में 40 करोड़ रुपए लागत से निर्मित चिकित्सा सुविधाओं का शुक्रवार को उद्घाटन किया। एम्स-कल्याणी में विकिरण आन्कोलाजी विभाग, ट्रामा एवं आपातकालीन चिकित्सा विभाग और एक न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। एक बयान के अनुसार, इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और राणाघाट के सांसद जगन्नाथ सरकार मौजूद थे। संस्थान के अपने दौरे के दौरान, नड्डा ने वरिष्ठ अधिकारियों और संकाय सदस्यों के साथ एक समीक्षा बैठक की।

आइ-पैक विवाद : ईडी की छापेमारी का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरीं ममता बनर्जी, कहा

राजनीतिक हमले से ऊर्जा मिलती है और पुनर्जन्म होता है

कोलकाता, 9 जनवरी (भाषा)।

मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने राजनीतिक परामर्श फर्म 'आइ-पैक' के कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के खिलाफ मार्च निकाला। ईडी की कार्रवाई के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है।

ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक हमला उनके संकल्प को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा, 'अगर कोई मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो मुझे नई ऊर्जा मिलती है और पुनर्जन्म होता है।' उन्होंने घोषणा की कि तृणमूल कांग्रेस का 'अगला गंतव्य' चुनाव आयोग होगा, जहां पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के उत्पीड़न का विरोध किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की रणनीति को चोरी करने के लिए ईडी केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि 'आइ-पैक' पर ईडी की छापेमारी के दौरान उनका हस्तक्षेप गलत नहीं था। उन्होंने कहा, 'मैंने जो कुछ भी किया, वह तृणमूल अध्यक्ष के तौर पर किया। मैंने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया है।'

तृणमूल को राजनीतिक परामर्श सेवा 'आइ-पैक' ही मुहैया कराती है। आरोप लगाया कि एजंसी सुबह-सुबह परिसर में दाखिल हुई और जब तक वह पहुंचीं, तब तक 'बहुत सारा सामान पहले ही ले जाया जा चुका था'। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने 8बी बस स्टैंड क्षेत्र से मार्च शुरू किया और हाजरा मोड़ की तरफ बढ़ीं। इस दौरान, राज्य सरकार के मंत्रिगण तथा पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मार्च के दौरान बांग्ला संस्कृति की झलक दिखी। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने लोकप्रिय गाना 'अमी बांग्ला गान गाई' गाया, जबकि महिलाओं ने शंख बजाए। मार्च के दौरान ममता रुक-रुककर सड़क के किनारे जुटे लोगों का अभिवादन कर रही थीं।

कोलकाता में ईडी की छापेमारी के खिलाफ रैली को संबोधित करती तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी।

लोकतंत्र को दंडित किया जा रहा है : अभिषेक

कोलकाता, 9 जनवरी (भाषा)।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा, 'लोकतंत्र को दंडित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अपराधियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। एजंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनावों में धांधली की जा रही है।' प्रदर्शनकारियों को जेल में डालो। बलात्कारियों को जमानत पर रिहा करो। यही भाजपा का नए भारत का नारा है। भले ही बाकी देश को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़े, बंगाल डटकर मुकाबला करेगा। हम डटकर लड़ेंगे और आपको हराएंगे, चाहे आप कितनी भी ताकत का इस्तेमाल करें।'

हाई कोर्ट ने छापेमारी संबंधी याचिकाओं पर 14 जनवरी तक रोकी सुनवाई

कोलकाता, 9 जनवरी (भाषा)।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजनीतिक परामर्श फर्म 'आइ-पैक' के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार को अदालत में अनियंत्रित भीड़ के कारण स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने अदालत कक्ष में मौजूद उन लोगों से बार-बार बाहर जाने का आग्रह किया, जो इन याचिकाओं से जुड़े नहीं थे। हालांकि, भीड़ में शामिल लोगों पर उनके आग्रह का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद याचिकाओं पर सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी गई। एजंसी ने हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल के समक्ष शुक्रवार को ही शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति घोष द्वारा पारित न्यायिक आदेश में हस्तक्षेप न करना उचित समझा।

हाई कोर्ट को गुरुवार के उस सिलसिले में ईडी और तृणमूल की दो याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी, जिनके तहत ममता बनर्जी उन परिसरों पर पहुंची थीं, जहां एजंसी ने तलाशी ली थी और जांचकर्ताओं पर बंगाल के चुनावों से पहले पार्टी से जुड़ा संवेदनशील दस्तावेजों को जब्त करने का आरोप लगाया था। तृणमूल ने याचिका में ईडी को तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज का दुरुपयोग व प्रसार से रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।

ईडी और सीआरपीएफ के खिलाफ बंगाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की

कोलकाता, 9 जनवरी (भाषा)।

तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने शुक्रवार को राजनीतिक परामर्श कंपनी आई-पैक के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के संबंध में संघीय एजेंसी के खिलाफ दो शिकायत दर्ज कराई है।

एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतों के आधार पर कोलकाता और बिधाननगर पुलिस ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव और बढ़ गया है, क्योंकि कोलकाता में मुख्यमंत्री के तलाशी अभियान स्थलों पर पहुंचकर पर 'अहम दस्तावेज' और इलेक्ट्रानिक उपकरण अपने साथ ले जाने के नाटकीय दृश्य देखने को मिले थे। ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मियों के खिलाफ शेक्सपियर सरानी पुलिस थाने में और अज्ञात ईडी जांचकर्ताओं के खिलाफ बिधाननगर पुलिस के अधीन इलेक्ट्रानिक काम्प्लेक्स पुलिस थाना में शिकायतें दर्ज कराईं।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शेक्सपियर सरानी पुलिस थाना में आपराधिक धमकी, चोरी और आपराधिक अतिक्रमण से संबंधित मामले दर्ज किए गए हैं, जो डेटा क्षति जैसे कृत्यों को अपराध घोषित करती है। पुलिस ने बताया कि मुख्यमंत्री की शिकायत के बाद बिधाननगर पुलिस के अधीन इलेक्ट्रानिक कांप्लेक्स पुलिस थाना में ईडी के खिलाफ भी इसी तरह का मामला दर्ज किया गया है।

ममता बनर्जी शेरनी हैं, झुकेंगी नहीं : महबूबा मुफ्ती

नई दिल्ली, 9 जनवरी (ब्यूरो)। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शेरनी बताते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बहुत बहादुर हैं और वह झुकेंगी नहीं। मुफ्ती गुरुवार को कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म 'आइ-पैक' के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई छापेमारी पर प्रतिक्रिया दे रही थीं।

इस कार्रवाई से उस वक्त काफी हंगामा मच गया, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री छापेमारी स्थल पर पहुंचीं और उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजंसी राज्य चुनावों से पहले तृणमूल के संवेदनशील डेटा को जब्त करने की कोशिश कर रही थी। मुफ्ती ने कहा कि यद्यपि जम्मू कश्मीर में ईडी या अन्य जांच एजंसियों द्वारा इस तरह की छापेमारी एक सामान्य बात हो गई है, लेकिन 'पूरा देश अब इसका स्वाद चख रहा है'। उन्होंने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद खुद की, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के संदर्भ में कहा, 'जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, तब छापे मारे गए थे और तीन मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया था, उस वक्त अधिकांश राजनीतिक दलों ने चुप्पी साधे रखी।

सीवी आनंद बोस को धमकी भरा ईमेल भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता, 9 जनवरी (भाषा)।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लोक भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गुरुवार देर रात कोलकाता के निकट 'साल्ट लेक' इलाके से पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति से मामले से जुड़ी और जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ की जा रही है। सीवी आनंद बोस को गुरुवार रात जान से मारने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि ईमेल भेजने वाले ने राज्यपाल को विस्फोट से मार डालने की धमकी दी थी और उसने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था। बोस को 'जेड-प्लस' श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, अब लगभग 60-70 केंद्रीय बल उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं।

'धमकियों से नहीं डरूंगा : जनता के लिए काम करता रहूंगा'

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को कहा कि वह राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे और कोई भी ताकत उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती।

गुरुवार की रात 'जान से मारने की धमकी' भरा ईमेल मिलने का उल्लेख करते हुए बोस ने कहा कि यह बंगाल की जनता के लिए मेरी लड़ाई को रोकने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं।

केवल सुप्रीम कोर्ट ही लगा सकता है ईडी पर लगाम : कपिल सिब्बल

नई दिल्ली, 9 जनवरी (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म आइ-पैक के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तलाश अभियान चलाने के एक दिन बाद, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि संघवाद केंद्रीय एजंसी की दया पर निर्भर है और केवल सुप्रीम कोर्ट ही जांच एजंसी पर लगाम लगा सकता है।

ईडी की कार्रवाई को लेकर मचे हंगामे के बाद सिब्बल की यह टिप्पणी आई है।

ईडी ने दावा किया कि यह कार्रवाई करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले में धनशोधन की जांच का हिस्सा थीं। उसने बनर्जी पर कानूनी जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने और राज्य पुलिस ने छापेमारी के दौरान जबरन मौके से 'महत्त्वपूर्ण सबूत' हटा दिए।

सिब्बल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'केवल सुप्रीम कोर्ट ही ईडी पर लगाम लगा सकता है। विपक्ष की सत्ता वाले हर विपक्षी राज्य, हर महत्त्वपूर्ण विपक्षी नेता को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वह वाकई चिंताजनक है! वह भी आगामी चुनाव के बीच में।' राज्यसभा सदस्य ने कहा, 'संघवाद ईडी की दया पर निर्भर है!' ईडी के अनुसार, गुरुवार की सुबह सात बजे से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में जांच एजंसी ने साल्ट लेक सेक्टर पांच स्थित 'आइ-पैक' के कार्यालय और लाउडन स्ट्रीट स्थित जैन के आवास समेत लगभग 10 परिसरों पर छापेमारी की, जिनमें दिल्ली के चार परिसर भी शामिल थे।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR AN INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

indo smc

INDO SMC LIMITED

CORPORATE IDENTITY NUMBER: U71100GJ2021PLC125904

Our Company was originally incorporated as 'INDO SMC PRIVATE LIMITED' a private limited company under the Companies Act, 2013 at Ahmedabad, Gujarat, pursuant to a certificate of incorporation dated September, 27, 2021, issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad ("RoC"). Thereafter, name of our Company was changed from 'INDO SMC PRIVATE LIMITED' to 'INDO SMC LIMITED', consequent to conversion of our Company from private to public company, pursuant to a special resolution passed by the shareholders of our Company on June 18, 2024 and a fresh certificate of incorporation consequent to change of name was issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad on August 07, 2024. Our Company's Corporate Identity Number is U71100GJ2021PLC125904. For details of change in Registered office of our Company, please refer to the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" on page 184 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: 809, Shilp Zaveri Shyamal Cross Road, Vejalpur, Shyamal, Ahmedabad Gujarat, India, 380006
Tel: +91 7575812866 **Website:** www.indosmc.com **E-mail id:** cs@indosmc.com; **Investor Grievance Email Id:** investor@indosmc.com
Contact Person: Ms. Avani Patel, Company Secretary and Compliance Officer;

OUR PROMOTERS: NITIN JASVANTBHAI PATEL, NEEL NITESHBHAI SHAH, RIKTABAHEN SONAWALA, CHAITANYA PATEL AND RACHIT JAIN

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 61,71,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH (THE "EQUITY SHARES") OF INDO SMC LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS (THE "ISSUE") OF WHICH 3,09,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 58,62,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO ₹ [•] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.00 % AND 25.65 % RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS-NOTICE TO THE INVESTORS

With reference to the Red Herring Prospectus dated January 06, 2026, statutory advertisement dated January 07, 2026 and Abridged Prospectus, it is to be noted that due to the announcement of Bank holiday on January 15, 2026 in Maharashtra, the upcoming Initial Public Offer of INDO SMC Limited which was earlier closing on January 15, 2026 will now close on January 16, 2026. On Page no. 1, 3, 9, 12, 67 and 260 of the Red Herring Prospectus under Bid/ Issue Programme on Cover Pages, Definitions, General Information and Terms of the Issue, point to be read as follows, Thus, investors should note the following:
An indicative timetable in respect of the Issue is set out below:

Event	Indicative Date
Anchor portion Issue Opens/Closes on	Monday, January 12, 2026
Issue Opening Date	Tuesday, January 13, 2026
Issue Closing Date	Friday, January 16, 2026
Finalisation of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1)	On or about Monday, January 19, 2026
Initiation of Allotment/ refunds/unblocking of funds from ASBA Account or UPI ID linked bank account (T+2)	On or about Tuesday, January 20, 2026
Credit of Equity Shares to demat accounts of Allottees (T+2)	On or about Tuesday, January 20, 2026
Commencement of trading of the Equity Shares on the SME Platform of BSE Limited (T+3)	On or about Wednesday, January 21, 2026

BOOK RUNNING LEAD MANAGER

GYR Capital Advisors

GYR CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED
Address: 428, Gala Empire, Near JB Tower, Drive in Road, Thaltej, Ahmedabad -380 054, Gujarat, India.
Telephone: +91 87775 64648
Email ID: indosmc.ipo@gyrcapitaladvisors.in
Website: www.gyrcapitaladvisors.com
Investor grievance: investors@gyrcapitaladvisors.com
Contact Person: Mr. Mohit Baid/ Mr. Sagar Vidhani
SEBI Registration Number: INM000012810
CIN: U67200GJ2017PTC096908

REGISTRAR TO THE ISSUE

KFINTECH

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED
Address: Selenium Tower- B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500 032, Telangana, India.
Telephone: +91 40 6716 2222
E-mail: indo.ipo@kfintech.com;
Website: www.kfintech.com
Investor Grievance ID: einward.ris@kfintech.com
Contact Person: Mr. M Murali Krishna
SEBI Registration: INR000000221
CIN: U67120MH1993PTC074079

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

indo smc

INDO SMC LIMITED
Address: Ms. Avani Patel
Company Secretary & Compliance Officer
Registered office: 809, Shilp Zaveri Shyamal Cross Road, Vejalpur, Shyamal, Ahmedabad, Gujarat, India, 380006
Telephone: +91- 7575812866;
E-mail: cs@indosmc.com
Website: https://indosmc.com/

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode.

On behalf of Board of Directors
FOR, INDO SMC LIMITED
Sd/-
Avani Patel
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Ahmedabad, India
Date: January 09, 2026

Disclaimer: INDO SMC LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Ahmedabad on January 06, 2026 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at https://indosmc.com/, the website of the BRLM to the Offer at: www.gyrcapitaladvisors.com, the website of BSE SME at https://www.bsesme.com/PublicIssues/RHPaspx, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 33 of the Red Herring Prospectus.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act, 1933 and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.